

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय पिडावा जिला झालवाड राज0

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत।

महोदय .

निवेदन है कि ग्राम हेगडा जमाबंदी सं. 2014-2017 के खाता सं. 28 में दर्ज खातेदारान/वादीगण के पिता/पति/हिस्सा/जाति/निवासी में गलत इन्द्राज/लिपीकीय त्रुटी को अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट में खातेदार घोषित किया जावे।

| भू प्रबंध खतोनी खाता सं. | भू प्रबंध खतोनी अनुसार प्रविष्टि | वर्तमान जमाबंदी खाता सं. | वर्तमान इन्द्राज/ त्रुटी पूर्ण इन्द्राज | प्रस्तावित इन्द्राज (शुद्ध प्रविष्टि) |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 280 2014-2017 | कालु पुत्र रामलाल मेहर सा. ए. ए. | कालु पुत्र रामलाल मेहर सा. ए. ए. |

वादी एवं गवाहान का नाम/पिता/जाति/निवासी का विवरण


हस्ताक्षर

1. कालु पुत्र रामलाल मेहर
2.
3.
4.

कारुलाल


रिपोर्ट पटवारी

वादी/प्रार्थी के वाद पत्र के अनुसार ग्राम हेगडा के राजस्व रिकार्ड की जांच की गई। मजमे आम में ली गई जानकारी /भू प्रबंध जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज उक्त सारणी अनुसार शुद्ध किया जाकर तदानुसार वादी खातेदार घोषित होने योग्य है।


18/3/22
हस्ताक्षर पटवारी
प०म० हेगडा

रिपोर्ट भू०अभिलेख निरीक्षक

पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई। राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज पटवारी रिपोर्ट अनुसार शुद्ध किये जाने योग्य है।

 अभिलेख निरीक्षक
10वृ० हेगडा

(3)

रिपोर्ट तहसीलदार/पेरोकार सरकार

क्रमांक: राजस्व/2025/ 460

दिनांक : २१-३-२५

महोदय , जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भू0अभिलेख निरीक्षक अनुसार ग्राम..... के वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्धि किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

२१/३/२५
तहसीलदार नियुक्त तहसीलदार
मुनेल (झालावाड़) राज


आदेश


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

क्रमांक: राजस्व न्यायालय/2025/ 56

दिनांक : २५/०३/२५

वादी/प्रार्थी के ग्रामहेमडा..... के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को तहसीलदार.....मुनेल..... की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में अंकित त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को कालम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार.....मुनेल.....को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कालम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।




उपखण्ड अधिकारी पिडावा
उपखण्ड जिला झालावाड़ राज0
जिला झालावाड़